अधिकारी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. ..... तारीख रजू.....

कैलाश ..... बनाम दुल्ली वगैरा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही पय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.11.2021 | वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।<br>अतः उभयपक्ष को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1000, 1001, 973, 1133, 972, 990, 968, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनाये रखें।<br>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 23.11.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 23.11.2021 को दास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) राज0 | |
| 23/11/21 | पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री कृष्णदत्त शर्मा एड0 ने व्यक्तिगत पेश हुए। अप्रार्थी की वकील नहीं अपने वकील को पेश करना नहीं चाहते हैं, इसलिये अप्रार्थी को Not Pressed पर लिया है। अतः अप्रार्थी पक्ष को Not Pressed में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के एक मुश्त हर्जाना के अलावा वादग्रस्त भूखण्ड के अन्य मालिक को सुनवाई | Not Pressed<br>23/11/21<br>प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 |